File No. HOUS2-MS/1/157/2022-V-2-Aawas Department (Computer No. 44223)

I/108422/2023

I/108422/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2—अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3—उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4—उपाध्यक्ष, हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
5—उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
6— नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग—2 देहरादून, दिनांक 22 मार्च, 2023।

विषयः प्राधिकरणों को मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क की धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक यह अवगत कराना है कि समस्त विकास प्राधिकरणों को मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क की धनराशि का 10 प्रतिशत, प्रशासनिक व्यय तथा शेष 90 प्रतिशत, अवस्थापना मद में व्यय किया जाता है। राज्य के स्थानीय नगर निकायों के अंतर्गत मलिन बस्ती सुधार योजना के उद्देश्य से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को प्राप्त विकास शुल्क की धनराशि में कुछ अंश सम्बन्धित स्थानीय नगर निकायों हेतु हस्तांतरित किया जाना है, जिसका उपयोग स्थानीय नगर निकायों के अंतर्गत मलिन बस्ती पुनर्वास एवं उससे संबंधित अवस्थापना सृजन हेतु किया जाएगा।

2— उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों को मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाली विकास शुल्क की धनराशि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् किया जायेगा —

E.E

(1)(i)10 प्रतिशत धनराशि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु किया जायेगा।

(ii)10 प्रतिशत धनराशि का उपयोग स्थानीय नगर निकायों के अन्तर्गत मलिन बस्ती पुनर्वास एवं उससे संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु व्यय किया जायेगा।

J.C.A

(iii) अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग विकास प्राधिकरणों द्वारा विकास कार्यों हेतु किया जायेगा।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण पत्र क्रमांक सं0 2706 दि0 25/03/2023 देहरादून

(क) मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क की न्यूनतम 30 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग/व्यय, उसी सेक्टर/क्षेत्र के विकास

कार्यों में किया जा सकेगा, जिस सम्बन्धित सेक्टर/क्षेत्र से विकास शुल्क प्राप्त किया गया है।

(ख) मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क की अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग अन्य सेक्टर/क्षेत्र के विकास कार्यों के सम्पादन में गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा।

(ग) विकास प्राधिकरण को विकास सेक्टर/क्षेत्र से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क का समुचित लेखा–जोखा रखना होगा, जिससे कि विकास प्राधिकरण उक्त 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कर सकें।

(2)(i) मलिन बस्ती पुनर्वास एवं उससे संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्राविधानित विकास शुल्क के 10 प्रतिशत धनराशि का समुचित उपयोग संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं संबंधित स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी के एस्क्रो एकाउण्ट के माध्यम से किया जायेगा तथा इसके मदवार व्यय की सूचना सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित की जाएगी।

(ii) इस धनराशि का व्यय वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, मानदेय, पारिश्रमिक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण व्यय, अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय, लेखन सामग्री एवं छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, कार्यालय व्यय, किराया, उप शुल्क, एवं कर दायित्व, विज्ञापन एवं प्रकाशन पर व्यय, उपयोगिता बिलों का भुगतान, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय, गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि पर व्यय, आवर्तक व्यय, सेमिनार, बैठक, भ्रमण, राजस्व मद एवं आतिथ्य व्यय आदि में कदापि नहीं किया जाएगा।

(3) जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क की धनराशि का समुचित वितरण, व्यय एवं अनुश्रवण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा :–

(1)	मण्डलायुक्त	–	अध्यक्ष,
(2)	जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण	–	सदस्य सचिव,
(3)	नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी, संबंधित स्थानीय नगर निकाय	–	सदस्य

(4) उक्त व्यवस्था जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के साथ–साथ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण तथा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण पर भी समान रूप से लागू होगी।

3— अतः उक्त प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 22-03-2023 13:36:12

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव

<u>प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—</u>

1—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2—सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4—मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निगम/नगर पालिका, उत्तराखण्ड।
5—गार्ड फाईल।